रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 29 अक्तूबर, 2003/7 कार्तिक, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

आदेश

शिमला-2, 24 सितम्बर, 2003

संख्या एफ0 एफ0 ई0-बी0-ए0(3) 4/99.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश तारीख 10-9-2002, हिमाचल प्रदेश भू-परीक्षण अधिनियम, 1978 (1978 का 28) की धारा 4 के अधीन जारी किया गया था और जिसे उपरोक्त अधिनियम की धाराओं 3 और 7 के उपबन्धों की अनुपालना के पश्चात् तारीख 4-10-2002 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया;

उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश का और संशोधन किया जाना आवश्यक और समीचीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त आदेश की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. पैरा 6-क का अन्तःस्थापना.—समसंख्यक आदेश तारीख 10-9-2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त आदेश" कहा गया है) के पैरा 6 के पश्चात् निम्नलिखित नया पैरा 6-क अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1. "6-क. यदि इस आदेश के पैरा 6 के अधीन प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा प्रदान एक वर्ष की विस्तारित अवधि के दौरान वृक्ष काटे (गिराए) नहीं जाते हैं जो राज्य सरकार अवधि

2505-राजपत्र/2003-29-10-2003—1,394 (2125) मूल्य : एक रुपया।

को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकेगी यदि ऐसा विस्तार (बढ़ौतरी) करने के लिए पर्याप्त कारण है ।

2. पैरा 8 का संशोधन.—उक्त आदेश के पैरा 8 में, पैरा 8 के उप-पैरा (ii) के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ii) दो वर्ष तक राज्य सरकार द्वारा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कारणों में से कोई भी विद्यमान है, अर्थात् :—

(क) यदि भूमि के हक या स्वामित्व या कब्जे पर कोई विवाद है, तो दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे कि न्यायालय के आदेश प्रमाण-पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने पर ; या

(ख) यदि क्षेत्र दस वर्षों के कटान (गिरान) प्रोग्राम में है परन्तु उसे उसमें दर्शाया नहीं गया है, सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ; या

(ग) यदि कर्मचारीवृन्द की अनुपलब्धता के कारण भूमि सीमांकन न किया जा सका हो तो इस निमित्त, यथास्थिति, सम्बद्ध वन उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) या वन मण्डलाधिकारी से लिया गया प्रमाण-पत्र देने पर ; या

(घ) यदि भूमि सीमांकन की प्रक्रिया, अंकन और वृक्षों का कटान (गिरान), प्राकृतिक आपदाओं के कारण, पूर्ण न किया हो; या

(ङ) यदि कटान (गिरान) के विहित वर्ष के दौरान वृक्षों की दरों का परिनिर्धारण नहीं हुआ हो; या

(च) यदि कोई ऐसा कारण हो जो भूस्वामी के नियन्त्रण से परे हो :

परन्तु राज्य सरकार हिमबाधित क्षेत्रों में कटान (गिरान), के विहित वर्ष के पश्चात्, वृक्षों का कटान (गिरान), दो वर्ष और छः मास तक अनुज्ञात कर सकेगी ।"

3. पैरा 13, 14, 15 का जोड़ा जाना.—उक्त आदेश के पैरा 12 के पश्चात् निम्नलिखित पैरे जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"13(1) वन मण्डल अधिकारी द्वारा कटान आदेश जारी करने के पश्चात्, देवदार, कामल, फर और स्प्रूस का कटान (गिरान) और संपरिवर्तन, दो वर्षों की अवधि के भीतर और चील तथा अन्य अनुसूचित प्रजातियों का कटान (गिरान) और संपरिवर्तन एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

(2) गैर अनुसूचित प्रजाति के वृक्षों का कटान (गिरान) और संपरिवर्तन यथास्थिति, वन मण्डलाधिकारी द्वारा जारी किए गए कटान (गिरान) आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर या वित्तीय वर्ष के अन्त में, जो भी पश्चात्वर्ती हो, पूरा किया जाएगा ।

14. राज्य सरकार शामलात देह/टीका हसब-रसब-मालगुजारी के रूप में अभिलिखित भूमि का सीमांकन, अंकन और कटान (गिरान) सहभागियों के पक्ष में उनके द्वारा उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अनुज्ञात करेगा कि वे 26-1-1950 से पूर्व भूमि के लगातार कब्जाधारक रहे हैं और यह भी कि वे उन द्वारा संदत्त किए गए भू-राजस्व के

अनुपात में पूर्ण स्वामी बन गए हैं और उक्त भूमि किसी भी अधिनिर्मिती के अधीन सरकार में कभी भी निहित नहीं रही है।

15. दस वर्षीय कटान (गिरान) योजना के अन्तर्गत आने वाली, सरकारी वनों के साथ लगी, प्राईवेट भूमि के लिए वृक्षों के कटान (गिरान) की कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी जिन्हें अधिकारी द्वारा, जो वन मण्डलाधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, स्थल पर ही मत्यापित किया जाएगा।"

आदेश द्वारा,

जे० पी० नेगी,
प्रधान सचिव।

[*Authoritative English text of this Department Order as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

FOREST DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the 24*th September,* 2003

No. FFE-B-A(3)4/99.—Whereas order of even number, dated 10-9-2002 of this department was issued under section 4 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978 (Act No. 28 of 1978) and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary), dated 4-10-2002 after complying with the Provisions of sections 3 and 7 of the Act *ibid* ;

And whereas State Government is satisfied after due inquiry under section 7 of the said Act that it is necessary and expedient further to amend the said order;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make following amendments in the said order, namely :—

1. *Insertion of para* 6-*A*.—After para 6 of the order of even number, dated 10-9-2002 (hereinafter referred to as the "said order"), the following new para 6-A shall be inserted, namely :—

"6-A. If the trees are not felled within extended period of one year, granted by the Principal Chief Conservator of Forest, under para 6 of this order, the State Government may extend the period for one year if there are sufficient reasons for granting such extension.

2. *Amendment of para* 8.—In para 8 of the said order for sub-para (*ii*) of para 8, of the said order, the following shall be substituted, namely :—

"(*ii*) The State Government upto two years subject to its being satisfied that there exists any of the following reasons for granting such permissions, namely :—

(*a*) if there is dispute over the title or ownership or possession of land, on the production of a documentary evidence such as orders/certificate of the Court etc.; or

(*b*) if the area is in the ten years felling programme but the same has not been shown therein the certificate from the Divisional Forest Officer concerned; or

(*c*) if the demarcation of land could not be made due to non-availability of staff, on furnishing a certificate from the Sub-Divisional Officer (Civil) or the Divisional Forest Officer concerned, as the case may be, to this effect; or

(*d*) if the process of demarcation of land, marking and felling of trees has not been completed due to a natural calamity; or

(*e*) if the settlement of rates of trees has not been arrived at during the prescribed year of felling; or

(*f*) if there is any other reason beyond the control of the land owner:

Provided that the State Government may allow felling of the trees upto two years and six months after the prescribed year of felling in the snow bound areas."

3. *Addition of paras* 13, 14 *and* 15.—After para 12 of the said order, the following paras shall be added, namely ;—

"13(1) The felling and conversion of Deodar, Kail, Fir and spruce shall be completed with in a period of two years and that of Chil and other scheduled species within a period of one year.

(2) The felling and conversion of trees of non scheduled species shall be completed within three months from the date of issuance of felling order by the Divisional Forest Officer or at the end of financial year which ever is later as the case may be.

14. The State Government may allow demarcation of land, marking and felling of trees on the land recorded as Shamlat Deh/Tika Hasab-Rasab-Malguzari in favour of the co-sharer on their furnishing of a certificate issued by the Sub-Divisional Officer (Civil) concerned to the effect that they are in continuous possession of the land prior to 26-1-1950 and further that they have become absolute owners in proportion to the land revenue paid by them and the said land has never been vested in the Government under any enactment.

15. Working plans for the felling trees shall be prepared for private land falling within the ten years felling programme adjoining to the Government "Forests" which shall be verified at the spot by an officer not below the rank of Divisional Forest Officer."

By order,

J. P. NEGI,
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित